अध्याय – 1

विभाग की भूमिका एवं दायित्व

1.1 भूमिका–

भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाए गए मध्यप्रदेश कार्य आवंटन नियमों के अन्तर्गत विभाग को सौंपे गये कार्य परिशिष्ट–1 में दर्शाए गए हैं।

1.2 दायित्व निर्वहन–

1.2.1 यह विभाग सरकार के विभिन्न विभागों से विधान सभा में लंबित विधेयकों, पुरःस्थापित किए जाने वाले नये विधेयकों और अध्यादेशों के प्रतिस्थापक विधेयकों के संबंध में निकट सम्पर्क बनाए रखता है। विधान सभा में विधेयकों के पारित होने संबंधी कार्रवाई को सुनिश्चित करने के लिए इस विभाग के अधिकारी विधेयक प्रायोजित करने वाले विभाग तथा विधि और विधायी कार्य विभाग, जो कि विधेयकों का प्रारूपण करता है, के अधिकारियों से सतत् सम्पर्क बनाए रखते हैं।

1.2.2 विभाग विधान सभा सदस्यों की परामर्शदात्री समितियां गठित करता है तथा सत्रावधि और अन्तःसत्रावधि के दौरान इन समितियों की बैठकें आयोजित कराने की व्यवस्था करता है।

1.2.3 विभाग विधान सभा में मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों के शीघ्र और उपयुक्त कार्यान्वयन का भी अनुश्रवण करता है। इसके अतिरिक्त ऐसी कई अन्य कार्य की मदें इस विभाग को आवंटित की गई हैं, जिनमें विधान सभा सचिवालय और विभिन्न विभागों के बीच इस विभाग को समन्वयक की भूमिका का निर्वाह करना होता है। विधान सभा सदस्यों की सुविधाओं संबंधी महत्वपूर्ण कार्य भी यह विभाग करता है।

1.2.4 इस विभाग के अन्तर्गत पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ की स्थापना वर्ष 1998 में की गई है, जो जन–प्रतिनिधियों, शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों, पत्रकारों, विद्यार्थियों तथा समाज के अन्य वर्गो के लिए संसदीय प्रक्रिया तथा पद्धति के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का निरन्तर आयोजन करती है।

1.3 संसदीय कार्य विभाग की वेबसाइट www.parliamentaryaffairs.mp.gov.in है।

...

अध्याय – 2

विभाग की संरचना एवं बजट

2.1 संरचना–

विभाग के लिए कुल 50 पद स्वीकृत हैं, जिनकी जानकारी परिशिष्ट–2 पर दर्शायी गयी है।

2.2 बजट–

यह एक गैर–योजना विभाग है, जिसमें केन्द्र/राज्य प्रवर्तित कोई योजना संचालित नहीं होती है। अतः जेण्डर आधारित बजट तैयार नहीं किया जाता है।

वर्ष 2017–2018 में स्वीकृत बजट तथा व्यय की जानकारी निम्नानुसार है–

(आंकड़े रुपयों में)

मद	बजट 2017–2018	
	स्वीकृत बजट	कुल व्यय (दिसम्बर 17 तक)
11 – वेतन	1,59,87,000	1,35,90,000
12 – मजदूरी	0	0
21 – यात्रा व्यय	50,000	49,000
22 – कार्यालय व्यय	17,78,000	11,22,000
23 –वाहनों का क्रय	7,50,000	7,50,000
24 – परीक्षा एवं प्रशिक्षण	21,000	0
31– व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां	15,97,000	9,39,000
6546–पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ की स्थापना के लिए सहायक अनुदान – 42 आर्थिक सहायता/सहायक	1,20,00,000	1,08,00,000
6582– भारतीय संसदीय संघ की मध्यप्रदेश शाखा को अनुदान	1,000	0
कुल योग मतदेय कुल योग भारित	3,21,84,000 0	2,72,50,000

2.3 विभाग द्वारा क्रय सामग्री में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों से नियमानुसार सामग्री क्रय की गई है।

...

अध्याय – 3

संसदीय कार्य नियमावली

3.1 शासन के विभागों से संसदीय कार्य के विभिन्न विषयों पर कार्रवाई करने के लिए जिस कार्य–विधि का पालन अपेक्षित है उनका संकलन कर एक सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट कार्य–विधि की पुस्तिका ''संसदीय कार्य नियमावली'' वर्ष 1996 में विभाग द्वारा प्रकाशित की गई थी। इसका द्वितीय संस्करण जून, 2004 में प्रकाशित किया गया।

3.2 नियमावली में निम्नलिखित विषयों के संबंध में अनुसरित की जाने वाली कार्य–विधि के संबंध में प्रावधान किए गए हैं :–

1	सामान्य अनुदेश
2	प्रश्न
3	सभा के पटल पर पत्रों का रखा जाना
4	स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण, सरकारी वक्तव्य, प्रस्ताव, अल्पकालिक चर्चाएं तथा संकल्प
5	राज्यपाल का अभिभाषण
6	बजट
7	आश्वासन
8	विधि निर्माण
9	राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य के संबंध में विधि निर्माण
10	प्रत्यायुक्त विधान/अधीनस्थ विधि निर्माण
11	विधान सभा समितियां
12	परामर्शदात्री समितियां
13	नियम 267–क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं
14	विविध

...

अध्याय – 4

सामान्य प्रशासनिक कार्य

नियुक्ति एवं पदोन्नति–

दो अभ्यर्थियों को तृतीय श्रेणी सहायक ग्रेड–3 पद पर संविदा नियुक्ति दी गई। पदोन्नति पर प्रतिबंध होने के कारण किसी की पदोन्नति नहीं हो सकी।

सेवानिवृत्ति तथा पेंशन–

कोई प्रकरण लंबित नहीं है।

न्यायालयीन प्रकरण–

क्र.	प्रकरण क्र. एवं न्यायालय	पक्षकार	विषय	स्थिति
1.	LPA No. 205/2000 मा. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर	म.प्र.शासन विरूद्ध श्री सुरेश सेठ, भूतपूर्व विधायक	वाहन ऋण पर ब्याज अनुदान के भुगतान संबंधी।	पुनर्जीवित करने हेतु 23.11.06 को आवेदन प्रस्तुत।
2.	WP No. 25466/2003 मा. उच्च न्यायालय, जबलपुर	श्री पी.एन. सक्सेना एवं अन्य विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन	श्री बी.आर.शर्मा के अनुभाग अधिकारी पद पर संविलियन के विरूद्ध।	जबावदावा प्रस्तुत।
3.	WPS No. 232/2005 मा. उच्च न्यायालय, जबलपुर	श्री बी.आर. शर्मा विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य	17.11.95 से वरिष्ठता प्रदान करने संबंधी।	जवाबदावा प्रस्तुत।
4.	WP No. 14009/2008 मा. उच्च न्यायालय, जबलपुर	श्री अमित सक्सेना विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य	अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने के संबंध में।	जवाबदावा प्रस्तुत।
5.	WP No. 4976/2013 मा. उच्च न्यायालय, जबलपुर	श्री कमलाकांत शर्मा विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य	सेवाएं समाप्त करने के विरूद्ध	जवाबदावा प्रस्तुत।

...

अध्याय – 5

प्रमुख विधायी कार्य

5.1 सत्रों का बुलाया जाना–

संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल समय–समय पर राज्य विधान–मण्डल के सदन को अधिवेशन के लिए आहूत कर सकते हैं और सदन का सत्रावसान कर सकते हैं तथा विधान सभा का विघटन कर सकते हैं।

कार्य आवंटन नियमों के द्वारा यह कार्य संसदीय कार्य विभाग को सौंपा गया है। संपन्न सत्रों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	सत्र	दिनांक	अवधि	संपन्न बैठकें
1	फरवरी–मई, 2017	21 फरवरी–3 मई, 2017	72 दिन	19 दिन
2	जुलाई, 2017	17 जुलाई–28 जुलाई, 2017	12 दिन	08 दिन
3	नवम्बर–दिसम्बर,2017	27 नवम्बर–8 दिसम्बर, 2017	12 दिन	06 दिन
	योग		96 दिन	33 दिन

5.2 राज्यपाल का अभिभाषण–

संविधान का अनुच्छेद 176 राज्यपाल को प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात् प्रथम सत्र के आरम्भ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ में विधान सभा में अभिभाषण करने के लिए आदिष्ट करता है।

माननीय राज्यपाल के अभिभाषण का विवरण निम्नानुसार है :–

अभिभाषण की तारीख	कृतज्ञता ज्ञापन के प्रस्तावक एवं अनुमोदक	चर्चा की तारीख
21 फरवरी, 2017	सुश्री ऊषा ठाकुर, सदस्य – प्रस्तावक श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य –समर्थक	23, 27, 28 फरवरी तथा 2 मार्च, 2017

5.3 वित्तीय कार्य –

मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 149 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य शासन का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा में ऐसे दिन उपस्थापित किया जाएगा जैसा कि राज्यपाल निदेश दें।

संपादित वित्तीय कार्य का विवरण निम्नानुसार है –

क्र.	सत्र	सम्पादित वित्तीय कार्य
1	फरवरी–मई, 2017	(1) वर्ष 2016–17 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की मांगें स्वीकृत (2) वर्ष 2017–2018 के आय–व्ययक की अनुदान मांगे स्वीकृत
2	जुलाई, 2017	वर्ष 2017–18 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगे स्वीकृत तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक पारित
3	नवम्बर–दिसम्बर,2017	वर्ष 2017–2018 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगें स्वीकृत तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक पारित

5.4 विधि विषयक कार्य – निम्नलिखित विधेयक पुरःस्थापित तथा पारित किए गए –

फरवरी – मई, 2017				
क्र.	विभाग	विधेयक	पुरःस्थापन	पारण
1	वित्त	1. मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2017 2. मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 2) विधेयक, 2017 3. मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन विधेयक, 2017	22.3.17 23.3.17 23.3.17	22.3.17 24.3.17 24.3.17
2	वाणिज्यिक कर	1. मध्यप्रदेश वेट संशोधन (विधिमान्यकरण) विधेयक, 2017 2. मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2017 3. मध्यप्रदेश माल और सेवा कर विधेयक, 2017	21.3.17 24.3.17 3.5.17	24.3.17 24.3.17 3.5.17
3	संसदीय कार्य	मध्यप्रदेश विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2017	21.3.17	24.3.17
4	नगरीय प्रशासन एवं आवास	1. मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2017 2. मध्यप्रदेश आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग को आवास गारंटी विधेयक, 2017 3. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2017	23.2.17 23.3.17 23.3.17	24.3.17 24.3.17 24.3.17
5	आदिम जाति कल्याण	मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) संशोधन विधेयक, 2017	23.3.17	24.3.17

क्र.	विभाग	विधेयक	पुरःस्थापन	पारण
जुलाई, 2017				
6	राजस्व	1. मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2017 2. मध्यप्रदेश वासस्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2017	19.7.17 19.7.17	20.7.17 20.7.17
7	पर्यटन	मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण)संशोधन विधेयक, 2017	19.7.17	20.7.17
8	वाणिज्यिक कर	1. मध्यप्रदेश करों की पुरानी बकाया राशि का समाधान विधेयक, 2017 2. भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017	24.7.17 24.7.17	26.7.17 26.7.17
9	उच्च शिक्षा	मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2017	24.7.17	26.7.17
10	सामान्य प्रशासन	मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2017	24.7.17	26.7.17
11	वित्त	1. मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग (संशोधन) विधेयक, 2017 2. मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक– 3) विधेयक, 2017	24.7.17 25.7.17	26.7.17 25.7.17
12	विधि और विधायी कार्य	मध्यप्रदेश न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017	25.7.17	26.7.17
नवम्बर–दिसम्बर, 2017				
13	सहकारिता	मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2017	30.11.17	4.12.17
14	वित्त	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक–4) विधेयक, 2017	30.11.17	30.11.17
15	विधि और विधायी कार्य	दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017	30.11.17	4.12.17
16	स्कूल शिक्षा	मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) विधेयक, 2017	30.11.17	4.12.17

क्र.	विभाग	विधेयक	पुरःस्थापन	पारण
17	नगरीय विकास एवं आवास	मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2017	30.11.17	4.12.17
18	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	मध्यप्रदेश सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) निरसन विधेयक, 2017	30.11.17	4.12.17
19	वाणिज्यिक कर	मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2017	30.11.17	4.12.17
20	राजस्व	मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2017	30.11.17	4.12.17
21	उच्च शिक्षा	मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2017	30.11.17	4.12.17

5.5 अध्यादेश –

प्रतिवेदित अवधि में निम्नानुसार अध्यादेश प्रख्यापित किए गए :–

क्र.	विभाग	अध्यादेश	प्रख्यापन का दिनांक	पटल पर रखने का दिनांक
1	पर्यावरण	मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) संशोधन अध्यादेश, 2017 (क्रमांक 1 सन् 2017)	22.5.17	18.7.17
2	सामान्य प्रशासन	मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन अध्यादेश, 2017 (क्रमांक 2 सन् 2017)	24.5.17	18.7.17
3	वाणिज्यिक–कर	मध्यप्रदेश करों की पुरानी बकाया राशि का समाधान अध्यादेश, 2017 (क्रमांक 3 सन् 2017)	29.5.17	18.7.17
4	उच्च शिक्षा	मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, 2017 (क्रमांक 4 सन् 2017)	13.6.17	18.7.17
5	सहकारिता	मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (क्रमांक 5 सन् 2017)	16.10.17	28.11.17
6	नगरीय विकास एवं आवास	मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (क्रमांक 6 सन् 2017)	1.11.17	28.11.17

5.6 शासकीय/संविहित संकल्प–

प्रतिवेदित अवधि में एक शासकीय संकल्प प्रस्तुत एवं स्वीकृत किया गया।

5.7 सभा के पटल पर रखे गए पत्र/प्रतिवेदन–

क्र.	सत्र	प्रतिवेदन		अधिसूचनाएं		अध्यादेश	
		प्राप्त	पटल पर रखे गए	प्राप्त	पटल पर रखी गई	प्राप्त	पटल पर रखे गए
1.	फरवरी–मई, 2017	45	45	06	06	0	0
2.	जुलाई, 2017	18	18	63	63	04	04
3.	नवम्बर–दिसम्बर,2017	22	22	41	41	02	02
	योग	85	85	110	110	06	06

5.8 गैर–सरकारी सदस्यों का कार्य –

5.8.1 विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों में उन सदस्यों के लिए, जो मंत्रि–परिषद् के सदस्य नहीं हैं, सदन में सामान्य और अविलम्बनीय दोनों प्रकार के लोक महत्व/रूचि के मामलों को उठाने और जन–साधारण की शिकायतों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रचुर अवसर उपलब्ध कराने के प्रावधान हैं। उदाहरणतः इनमें से कुछ हैं – प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, याचिकाएं, संकल्प प्रस्ताव, अल्पकालीन चर्चा, आधे घण्टे की चर्चा तथा मंत्रि–परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव आदि। इसके अतिरिक्त प्रत्येक शुक्रवार को ढाई घण्टे का समय गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों के लिए भी अलग से रखा गया है।

5.8.2 प्रतिवेदित वर्ष के दौरान विधान सभा में प्रस्तुत प्रश्न/स्थगन प्रस्ताव/ध्यानाकर्षण सूचनाओं आदि की जानकारी परिशिष्ट–3 में है।

...

अध्याय – 6
आश्वासन, प्रश्नों के अपूर्ण उत्तर, शून्यकाल तथा लोक लेखा समिति की सिफारिशें

6.1 आश्वासन–

विधान सभा में प्रश्न या उन पर अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देते समय अथवा विधेयकों, संकल्पों एवं प्रस्तावों आदि पर चर्चा के दौरान मंत्रिगण कभी–कभी कुछ आश्वासन देते हैं, जैसे कि वे इस मामले पर विचार करेंगे, कार्रवाई करेंगे, अपेक्षित जानकारी बाद में दे देंगे आदि। सरकार इन आश्वासनों को पूरा करने के लिए बाध्य है। संसदीय कार्य विभाग, सरकार की ओर से, इस विषय में समन्वयक की भूमिका निभाता है।

विधान सभा सचिवालय सदन की दैनिक कार्यवाही में से मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों का निःस्सारण कर उन्हें संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भेज देता है। आश्वासनों की सूची इस विभाग को भी प्रेषित की जाती है।

विधान सभा में दिया गया आश्वासन तीन मास की समय–सीमा के भीतर पूरा किया जाना अपेक्षित है। यदि विभाग को लगता है कि आश्वासन को पूरा करने में तीन मास से ज्यादा समय लग सकता है तो समय बढ़ाने के लिए आश्वासन समिति से निवेदन कर सकता है। विभाग किन्हीं आश्वासनों को छोड़ देने के लिए भी समिति से निवेदन कर सकता है। विधान सभा से संबंधित आश्वासनों के बारे में समय बढ़ाने/उन्हें छोड़ने के लिए विभाग सीधे ही समिति को निवेदन कर सकते हैं।

प्रतिवेदित अवधि में नए आश्वासनों एवं पूर्व लंबित आश्वासनों में से लगभग 1780 आश्वासनों में जानकारी विधान सभा सचिवालय को भिजवाई गई।

6.2 प्रश्नों के अपूर्ण उत्तर–

जिस प्रश्न या उसके किसी भाग के संबंध में मंत्री द्वारा यह कहा जाता है कि 'जानकारी एकत्रित की जा रही है' या जानकारी प्राप्त न होने के कारण जिन प्रश्नों का पूर्ण उत्तर नियत तिथि को न दिया गया हो, उन समस्त प्रश्नों के उत्तरों को विधान सभा सचिवालय द्वारा संकलित कर 'प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर' शीर्षक से मुद्रित कराया जाता है तथा अगले सत्र के प्रथम दिन सभा के पटल पर रखा जाता है।

प्रतिवेदित वर्ष के अपूर्ण उत्तरों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	सत्र	संख्या	निराकृत	शेष
1.	फरवरी–मई, 2017	460	426	34
2.	जुलाई, 2017	225	166	59
3.	नवम्बर–दिसम्बर, 2017	257	120	137
	योग	942	712	230

6.3 शून्यकाल की सूचनाएं –

मध्यप्रदेश विधान सभा नियमावली के नियम 267–क के अधीन पढ़ी गई सूचनाओं के शासन से प्राप्त उत्तर विधान सभा सचिवालय द्वारा संकलित कर मुद्रित कराए जाते हैं और उन्हें अगले सत्र के प्रथम दिन सभा के पटल पर रखा जाता है तथा उनकी एक प्रति संबंधित सदस्य को उपलब्ध कराई जाती हैं। इस नियम के उपनियम (7) के अनुसार सभा में जो सूचनाएं पढ़ी जाती हैं उनके लिखित उत्तर शासन की ओर से 15 दिन की अवधि के भीतर भेजने की अपेक्षा की जाती है।

प्रतिवेदित अवधि की सूचनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	सत्र	सदन में प्रस्तुत	निराकृत	शेष
1.	फरवरी–मई, 2017	179	179	0
2.	जुलाई, 2017	82	82	0
3.	नवम्बर–दिसम्बर, 2017	70	70	0
	योग	331	331	0

6.4 लोक लेखा समिति की सिफारिशें –

लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की सिफारिशों पर विभिन्न विभागों द्वारा की गई कार्रवाई का सतत् अनुश्रवण इस विभाग द्वारा किया जाता है।

प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 19.6.17, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 9.2.17, 11.7.17, 7.11.17 तथा 19.2.18 और मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 16.2.17 एवं 13.7.17 को संपन्न बैठकों में लोक लेखा समिति की सिफारिशों की समीक्षा की गई।

363 सिफारिशों की जानकारी विधान सभा सचिवालय को भिजवाई गई।

6.5 विधान सभा के लंबित कार्यों की समीक्षा–

विधान सभा सत्र आरम्भ होने के पूर्व विधायी प्रस्तावों तथा विधान सभा के लंबित कार्यों के संबंध में समस्त विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आयोजित की जाती है। मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 16.2.17 एवं 13.7.17, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 9.2.17, 11.7.17, 7.11.17 एवं 19.2.18 तथा प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग की अध्यक्षता में 19.6.17 को बैठकें संपन्न हुईं।

...

अध्याय–7

<u>समितियां</u>

7.1 <u>विभागीय परामर्शदात्री समितियां</u> –

7.1.1 वर्ष 1954 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा केन्द्रीय मंत्रि–मण्डल के सदस्यों को परिचालित एक टिप्पण के आधार पर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए अनौपचारिक परामर्शदात्री समितियां गठित की गई।

7.1.2 वर्ष 1969 में संसद में विपक्षी दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ विचार–विमर्श हुआ और इन समितियों के गठन और कार्य चालन के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश तैयार किए गए। उस समय यह भी निर्णय लिया गया कि इन समितियों का नाम 'परामर्शदात्री समितियां' होगा तथा इन समितियों में विचार–विमर्श अनौपचारिक ही रहेगा।

7.1.3 मध्यप्रदेश राज्य में भी केन्द्र के अनुरूप ही परामर्शदात्री समितियों का गठन इस विभाग द्वारा किया जाता है। इन समितियों के गठन और कार्यकरण को विनियमित करने वाले मार्गदर्शी सिद्धान्त <u>परिशिष्ट–4</u> पर हैं।

7.1.4 संसदीय कार्य विभाग द्वारा 27 अगस्त, 2015 को विभिन्न विभागों के लिए 37 परामर्शदात्री समितियों का गठन किया गया है। समितियों की सूची <u>परिशिष्ट–5</u> पर है।

7.2 <u>अन्य समितियां</u> –

7.2.1 समितियां दो प्रकार की होती हैं – सरकारी समितियां अर्थात् सरकार द्वारा नियुक्त तथा विधान सभा समितियां अर्थात् विधान सभा द्वारा निर्वाचित या चुनी गई समितियां अथवा विधान सभा के पीठासीन अधिकारियों द्वारा नामित समितियां।

7.2.2 विधान सभा समितियों में विधान सभा सदस्य होते हैं जबकि सरकारी समितियों में विशेषज्ञ, सरकारी और गैर–सरकारी सदस्य। गैर–सरकारी सदस्यों के रूप में कभी–कभी विधान सभा सदस्यों/संसद सदस्यों को भी ऐसी समितियों में नामांकित किया जाता है।

7.2.3 शासन द्वारा स्थापित समितियों और अन्य निकायों में विधान सभा सदस्यों की नियुक्ति –

शासन द्वारा बनाए गए कार्य आवंटन नियमों के अधीन शासन द्वारा स्थापित समितियों और अन्य निकायों में विधान सभा सदस्यों को नामांकित किए जाने का कार्य संसदीय कार्य विभाग को सौंपा गया

है। सभी विभागों से अपेक्षा की जाती है कि वे विभिन्न समितियों में सदस्यों को नियुक्त करने के पूर्व संसदीय कार्य विभाग से अवश्य परामर्श कर लें ताकि विधान सभा सदस्यों का प्रतिनिधित्व समान और व्यापक रूप से सुनिश्चित किया जा सके तथा विधान सभा सदस्यों की विभिन्न संस्थाओं में नियुक्ति, अन्य संस्थाओं में उनकी सदस्यता, उनकी शैक्षणिक योग्यता, पृष्ठभूमि, अनुभव और ज्ञान आदि को ध्यान में रखते हुए उनका नामांकन किया जा सके।

7.2.4 विधान सभा समितियों द्वारा सामान्य रूप से लागू की जाने वाली सिफारिशें – विधान सभा समितियों द्वारा की गई सामान्य रूप से लागू होने वाली अनुशंसाओं/सिफारिशों पर विभागों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के अनुशीलन का कार्य संसदीय कार्य विभाग को सौंपा गया है। इस विभाग द्वारा विधान सभा समितियों द्वारा की गई सिफारिशों की अभिपूर्ति करने हेतु संबंधित विभागों को समय–समय पर निर्देश तथा आवश्यक परामर्श दिया जाता है।

...

अध्याय – 8

वेतन तथा भत्ते

8.1 मानानीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष के वेतन तथा भत्ते–

मध्यप्रदेश विधान सभा के माननीय अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को 'मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972' तथा माननीय नेता प्रतिपक्ष को 'मध्यप्रदेश विधान–मंडल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980' के अन्तर्गत निम्नानुसार वेतन–भत्ते देय हैं :–

क्र.	मद	अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	नेता प्रतिपक्ष
1	वेतन	47,000/–	45,000/–	45,000/–
2	सत्कार भत्ता	48,000/–	45,000/–	45,000/–
3	निर्वाचन क्षेत्र भत्ता	45,000/–	35,000/–	35,000/–
4	दैनिक भत्ता (रु. 1500)	45,000/–	45,000/–	45,000/–
	योग	1,85,000/–	1,70,000/–	1,70,000/–

8.2 स्वेच्छानुदान –

माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नेता प्रतिपक्ष के स्वेच्छानुदान की वार्षिक राशि निम्नानुसार है –

क्र.	पद	वर्तमान निर्धारित राशि
1	अध्यक्ष	रुपये 1,00,00,000/–
2	नेता प्रतिपक्ष	रुपये 50,00,000/–
3	उपाध्यक्ष	रुपये 50,00,000/–

8.3 माननीय विधायकों के वेतन, भत्ते तथा सुविधाएं –

(क) अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत –

मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्यों को 'मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972' के अंतर्गत वेतन तथा भत्ते देय हैं।

सदस्यों को निम्नानुसार वेतन–भत्ते देय हैं –

क्र.	मद	राशि प्रतिमाह (रुपयों में)
1	वेतन	30,000/–
2	निर्वाचन क्षेत्र भत्ता	35,000/–
3	दूरभाष भत्ता (चाहे टेलीफोन लगा हो या नहीं)	10,000/–
4	चिकित्सा भत्ता	10,000/–
5	स्टेशनरी भत्ता	10,000/–
6	कंप्यूटर ऑपरेटर/अर्दली भत्ता	15,000/–
	योग	1,10,000/–

अधिनियम में किसी सदस्य के आकस्मिक निधन पर उसके परिवार को रुपये 5,00,000/– अनुग्रह अनुदान देने का प्रावधान भी है।

<u>सुविधाएं</u>

(1) दैनिक भत्ता – 'मध्यप्रदेश विधान मंडल यात्रा भत्ता नियम, 1957' में–

(i) स्वयं की मोटर कार से यात्रा के लिए मिलने वाले यात्रा भत्ते की दर 15 रुपये प्रति किलोमीटर है।

(ii) राज्य के भीतर मिलने वाला दैनिक भत्ता रुपये 1,500/– एवं राज्य के बाहर मिलने वाला भत्ता रुपये 2,500/– है।

(iii) सदस्य जिस दिन की उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर करेंगे उसी दिन का दैनिक भत्ता प्राप्त करने का प्रावधान है।

(iv) प्राक्कलित यात्रा भत्ता देयक की 75 प्रतिशत राशि अग्रिम के रूप में प्राप्त करने का प्रावधान है।

(2) रेलवे यात्रा सुविधा –'मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य (रेल द्वारा निःशुल्क अभिवहन) नियम, 1978' के अन्तर्गत प्रत्येक विधायक को रेलवे कूपन दिये जाते हैं, जिनके द्वारा वह एक अन्य व्यक्ति के साथ राज्य के भीतर बिना किसी निर्बन्धन के तथा राज्य के बाहर 10,000 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकता है।

(3) वायुयान यात्रा सुविधा – प्रत्येक विधायक को कतिपय शर्तों के अधीन वायुयान से यात्रा करने की सुविधा है।

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 में राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान की 34 यात्राएं प्रतिवर्ष करने का प्रावधान है।

(4) चिकित्सा परिचर्या एवं उपचार की सुविधा –प्रत्येक विधायक को वैयक्तिक तौर पर चिकित्सीय परिचर्या एवं उपचार आदि की सुविधा प्राप्त है।

(ख) <u>प्रशासकीय आदेशों के अन्तर्गत</u>–

(1) लेपटॉप/कंप्यूटर क्रय पर अनुदान – चतुर्दश विधान सभा के सदस्यों को लेपटॉप/कंप्यूटर क्रय करने पर शासन की ओर से रुपए 35,000/– तक का अनुदान प्राप्त करने की सुविधा दी गई है।

(2) गृह निर्माण/क्रय अथवा आवासीय भू–खण्ड क्रय ऋण पर ब्याज अनुदान – चतुर्दश विधान सभा के माननीय सदस्यों को किसी भी बैंक से रुपये 25.00 लाख की सीमा तक ऋण लेने की सुविधा प्रदान की गई है, जिस पर प्रथमतः 4 प्रतिशत ब्याज सदस्य द्वारा वहन करने तथा शेष ब्याज की राशि (अधिकतम 6.75 प्रतिशत) शासन द्वारा अनुदान के रुप में देने का प्रावधान है।

(3) वाहन ऋण पर ब्याज अनुदान – चतुर्दश विधान सभा के माननीय सदस्यों को किसी भी बैंक से रुपए 15.00 लाख की सीमा तक ऋण लेने की सुविधा प्रदान की गई है, जिस पर प्रथमतः 4 प्रतिशत ब्याज सदस्य द्वारा वहन करने तथा शेष ब्याज की राशि शासन द्वारा अनुदान के रूप में देने का प्रावधान है।

(4) भू–खण्ड/भवन उपलब्ध करना – ऐसे विधायकों, जिनके अथवा पत्नी/नाबालिक बच्चों के नाम पर किसी भी नगरपालिका की सीमा के अन्तर्गत कोई आवासीय भूखण्ड/भवन न हो, को मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल/विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास संघ द्वारा विकसित आवासीय भूखण्ड अथवा निर्मित आवासीय भवन प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने के संबंध में आदेश प्रसारित किए गए हैं।

(5) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना – योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के आदेश दिनांक 12.4.2016 द्वारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत निर्धारित प्रति विधान सभा क्षेत्र के विकास कार्यों हेतु आवंटित की जाने वाली राशि रुपये 1.85 करोड़ तथा विधायक स्वेच्छानुदान निधि रुपये 15.00 लाख निर्धारित की गई है।

(6) लिपिकीय सुविधा –विधायकों को सचिवालयीन सहायता के लिए लिपिक की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

(7) विधायक विश्राम गृह तथा पारिवारिक कमरों एवं गैरिजों का आवंटन तथा अध्यक्षीय पूल के शासकीय आवासों का आवंटन विधान सभा सचिवालय द्वारा किया जाता है।

(8) भोजनालय एवं स्वल्पाहार गृह, बैंक, पोस्ट आफिस, सब रेलवे रिजर्वेशन कक्ष, औषधालय, ए.टी.एम. आदि की व्यवस्था विधान सभा परिसर एवं विधायक विश्राम गृह में की गई है। सत्रकाल के दौरान विधायकों को विश्राम गृह से विधान सभा आने जाने के लिए बस की निःशुल्क व्यवस्था की जाती है।

(9) विधायक विश्राम गृह में दूरभाष की सुविधा।

8.4 <u>भूतपूर्व विधायकों को पेंशन तथा अन्य सुविधाएं</u> –

(1) पेंशन तथा भत्ते – मध्यप्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों को 'मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972' के अंतर्गत निम्नानुसार पेंशन, भत्ते तथा सुविधाएं देय हैं :–

क्र.	मद	राशि प्रति माह (रुपयों में)
1	पेंशन	20,000/–
2	चिकित्सा भत्ता	15,000/–
	योग	35,000/–

➢ पेंशन में प्रतिवर्ष रुपये 800/– की वृद्धि का प्रावधान है।

(2) अतिरिक्त पेंशन – अधिनियम में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में किसी भी कालावधि तक कार्य किया है, बीस हजार रुपये पेंशन दी जाएगी।

परन्तु जहां किसी व्यक्ति ने, पांच वर्ष से अधिक की कालावधि तक कार्य किया हो, वहां उसे पांच वर्ष के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष के लिए पांच सौ रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी।

(3) दोहरी पेंशन –पूर्व विधायकों को संसद सदस्यों की भांति दोहरी पेंशन प्राप्त करने की पात्रता है।

(4) कुटुम्ब पेंशन – मृतक सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के पति या पत्नी या आश्रित को, उसकी मृत्यु की तारीख से पेंशन देने का प्रावधान है।

कुटुम्ब पेंशन की राशि रुपये 18,000/– है। रुपये 500/– प्रतिवर्ष की वृद्धि का प्रावधान भी है।

(5) रेलवे यात्रा सुविधा – प्रत्येक ऐसे भूतपूर्व विधायक को, जो पेंशन का हकदार हो, रेल के कूपन दिए जाते हैं जिनसे वह प्रथम श्रेणी अथवा द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित शयनयान द्वारा अकेले अथवा द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित शयनयान द्वारा अपनी पत्नी/अपने पति या एक परिचारक के साथ, किसी भी रेल से, राज्य के भीतर बिना किसी निर्बन्धन के और राज्य के बाहर प्रति वित्तीय वर्ष में केवल 4,000 किलोमीटर तक की, यात्रा कर सकते हैं।

(6) चिकित्सा परिचर्या एवं उपचार की सुविधा – प्रत्येक भूतपूर्व विधायक को राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सीय उपचार प्राप्त करने का हकदार बनाया गया है।

...

परिशिष्ट–1
(देखें पद 1.1)

विभाग को सौंपे गए कार्य

(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :

(1) विधान सभा का सत्रारंभ, उसका सत्रावसान तथा उसे भंग करना एवं विधान सभा में राज्यपाल के अभिभाषण के लिए दिन निर्धारित करना।

(2) विधान सभा में विधायी तथा अन्य शासकीय कार्य का आयोजन तथा समन्वय।

(3) सदस्यों ने जिन प्रस्तावों पर सूचना दी है उन पर विचार करने के लिए सभा में शासकीय समय का आवंटन।

(4) दलों के नेताओं और सचेतकों के साथ सम्पर्क।

(5) विधेयकों पर प्रवर समितियों के लिए सदस्यों का चयन।

(6) शासन द्वारा स्थापित समितियों और अन्य निकायों में विधान सभा सदस्यों की नियुक्ति।

(7) विभिन्न विभागों के लिये विधान सभा सदस्यों की परामर्श समितियों का संचालन।

(8) मंत्रियों द्वारा विधान सभा में दिए गए आश्वासनों का क्रियान्वयन।

(9) गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों पर शासन की स्थिति।

(10) संसदीय मामलों में मंत्रि–मण्डल को सचिवालयीन सहायता।

(11) प्रक्रिया संबंधी तथा अन्य संसदीय मामलों में विभाग को परामर्श।

(12) विधान सभा समितियों द्वारा की गई सामान्य रूप से लागू होने वाली अनुशंसाओं पर विभागों द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों का समन्वय।

(13) दर्शनीय स्थलों पर विधान सभा सदस्यों के लिये शासकीय रूप से प्रायोजित दौरे।

(14) विधान सभा सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों से संबंधित मामले।

(15) संसदीय सचिव – उनके कार्य।

(16) अधिसूचनाओं, नियमों तथा अध्यादेश आदि को सदन के पटल पर रखना।

(17) अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन की सिफारिशों के क्रियान्वयन संबंधी कार्य।

(18) अध्यक्ष के परामर्श से विधान सभा सदस्यों के लिये सेमीनार, परिचर्चा (ज्सो) एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।

(19) विधान सभा सदस्यों के लिए सुविधाएं।

(20) संसदीय विषयों से संबंधित संवैधानिक मामले।

(21) संसदीय विषयों पर भारत सरकार तथा अन्य राज्यों से प्राप्त सन्दर्भ।

(22) राज्य विधान सभा तथा संसद के सदस्यों को शासकीय प्रकाशनों, मैन्युअल्स तथा प्रतिवेदनों का प्रदाय।

(23) विधान सभा में उठाई गई ध्यानाकर्षण सूचनाओं अथवा मध्य प्रदेश विधान सभा कें प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 267—क के तहत दी गई सूचनाओं के अन्तर्गत सदस्यों के उत्तरों की जानकारी दिलाने हेतु अनुगमन।

(24) विलोपित।

(25) ऐसी सेवाओं से संबंधित सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (विधान सभा सचिवालय की सेवा से संबंधित अथवा वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ – नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, वेतन, छुटटी, पेंशन, पदोन्नतियां, भविष्य निधि, प्रतिनियुक्तियां, दण्ड तथा अभ्यावेदन।

(आ) नियमन तथा संशोधन के लिये विभाग से संबंधित अधिनियम और नियम

1. मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1972 और नियम

2. मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 और नियम

3. मध्यप्रदेश विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980 और नियम

4. मध्यप्रदेश विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 और नियम

5. मध्यप्रदेश संसदीय कार्य विभाग (राजपत्रित) सेवा नियम, 1995

(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय और कार्यालय :

कुछ नहीं।

(ई) अधिनियम के अधीन स्थापित मण्डल तथा निगम :

कुछ नहीं।

(उ) ऊपर (ई) के अन्तर्गत न आने वाली अन्य संस्थाएं तथा मण्डल :

कुछ नहीं।

(ऊ) विभाग के अधीन सेवा का नाम, यदि कोई हो, तथा विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :

1. मध्यप्रदेश संसदीय कार्य विभाग (राजपत्रित) सेवा

2. विभाग के अधीन तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा।

...

परिशिष्ट–2
(देखें पद 2.1)

संसदीय कार्य विभाग

स्वीकृत पद

क्रमांक	पदनाम	संख्या	वेतनमान	ग्रेड पे
1.	अपर सचिव	1	37400–67000	8700
2..	उप सचिव	1	15600–39100	7600
3.	अवर सचिव	3	15600–39100	6600
4.	अनुभाग अधिकारी	2	9300–34800	4200
5.	निजी सचिव	1	9300–34800	4200
6.	सहायक ग्रेड–1 (लेखा)	1	9300–34800	3600
7.	निज सहायक	1	9300–34800	3600
8.	सहायक ग्रेड–1	6	9300–34800	3600
9.	सहायक ग्रेड–2	6	5200–20200	2400
10.	स्टेनो–टायपिस्ट	2	5200–20200़125विशेष वेतन	1900
11.	सहायक ग्रेड–3	13	5200–20200	1900
12.	वाहन चालक	2	5200–20200	1900
13.	दफ्तरी	2	4440–7440़50 विशेष वेतन	1400
14.	जमादार	1	4440–7440	1400
15.	भृत्य	4	4440–7440	1300
16.	भृत्य–सह–फर्राश	1	4440–7440	1300
17.	फर्राश	1	4440–7440	1300
18.	चौकीदार	1	(जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दर पर)	–
19	स्वीपर (अंशकालिक)	1	(जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दर पर)	–
	योग	50		

...

परिशिष्ट–3
(देखें पद 5.8.2)

प्रश्न/स्थगन प्रस्ताव/ध्यानाकर्षण सूचनाएं आदि

प्रश्न

क्र.	सत्र	सूचनाएं प्राप्त	तारांकित	अतारांकित	ग्रहित तारांकित	ग्रहित अतारांकित	अग्राह्य, निरस्त एवं व्यपगत	सदन में उत्तरित	तारांकित रूप में मुद्रित	नियम46(2) केअन्तर्गत अतारांकित रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्न
1.	फरवरी–मई, 2017	7934	4057	3877	3711	3665	558	216	525	3186
2.	जुलाई, 2017	3257	1712	1545	1609	1418	230	66	252	1357
3.	नवम्बर–दिसम्बर, 2017	3635	1836	1799	1742	1684	209	41	251	1492
	योग	14826	7605	7221	7062	6767	997	323	1028	6035

स्थगन प्रस्ताव

क्र.	सत्र	सूचनाएं प्राप्त	अग्राह्य	सदन में चर्चित	ग्राह्य
1.	फरवरी–मई, 2017	39	39	0	0
2.	जुलाई, 2017	61	14	1 + (46 समामेलित)	1
3.	नवम्बर–दिसम्बर, 2017	20	13	1 + (6 समामेलित)	0
	योग	120	66	2 + (52 समामेलित)	1

ध्यानाकर्षण सूचनाएं

क्र.	सत्र	सूचनाएं प्राप्त	सदन में प्रस्तुत	अग्राह्य	शून्यकाल में परिवर्तित
1.	फरवरी–मई, 2017	973	98(25 समामेलित)	789	61
2.	जुलाई, 2017	614	16(6 समामेलित)	542	50
3.	नवम्बर–दिसम्बर, 2017	528	32(9 समामेलित)	454	33
	योग	2115	146(40 समामेलित)	1785	144

नियम 52 के अन्तर्गत आधे धण्टे की चर्चा

क्र.	सत्र	सूचनाएं प्राप्त	ग्रहीत	अग्राह्य	सदन में चर्चित
1.	फरवरी–मई 2017	4	3	1	0
2.	जुलाई, 2017	0	0	0	0
3.	नवम्बर–दिसम्बर, 2017	3	2	1	1
	योग	7	5	2	1

याचिकाएं

क्र.	सत्र	सूचनाएं प्राप्त	ग्रहित	अग्राह्य	विचाराधीन/प्रचलित
1.	फरवरी–मई, 2017	831	749	8	74
2.	जुलाई, 2017	308	302	4	2
3.	नवम्बर–दिसम्बर, 2017	277	183	5	89
	योग	1416	1234	17	165

अशासकीय संकल्प

क्र.	सत्र	सूचनाएं प्राप्त	ग्रहित	अग्राह्य	सदन में स्वीकृत	व्यपगत/ अनिर्णित	वापस
1.	फरवरी–मई 2017	52	10	17(1 समामेलित)	4	14	6
2.	जुलाई, 2017	38	12	10	1	13	2
3.	नवम्बर–दिसम्बर,2017	33	5	14	3	9	2
	योग	123	27	41(1 समामेलित)	8	36	10

नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय

क्र.	सत्र	सूचनाएं प्राप्त	ग्रहित	अनिर्णित/ अग्राह्य	सदन में चर्चित
1.	फरवरी–मई, 2017	10	0	10	0
2.	जुलाई, 2017	6	5	1	0
3.	नवम्बर–दिसम्बर, 2017	7	0	6	1
	योग	23	5	17	1

...

परिशिष्ट–4
(देखें पद 7.1.3)

परामर्शदात्री समितियों के गठन तथा कार्यकरण को विनियमित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

परामर्शदात्री समितियां (Consultative Committees) विधान सभा की स्थायी समितियों (Standing Committees) के तुल्य नहीं होंगी तथा इन समितियों के विमर्श अनौपचारिक रहेंगे और उनके सम्मिलनों में की गई चर्चाओं का कोई उल्लेख सदन में नहीं किया जाएगा।

2. सरकार इन समितियों की सदस्य संख्या सत्ताधीन दल तथा विरोधी दल के सदस्यों से सीधा संपर्क साधकर उनके द्वारा दिए गए प्राधान्य को ध्यान में रखते हुए नियत करेगी। प्रत्येक सदस्य, वह किन–किन समितियों के सदस्य के रूप में रहना चाहता है, इस संदर्भ में अपना प्राधान्य दर्शाएगा और प्रत्येक से इस प्रकार तीन प्राधान्य मांगे जाएंगे। एक सदस्य एक ही समिति में रह सकेगा।

3. समिति के किसी सदस्य की विधान सभा की सदस्यता समाप्त होने अथवा मंत्री पद पर नियुक्त होने पर उसकी उस समिति से सदस्यता समाप्त हो जाएगी और यह आवश्यक नहीं होगा कि उस सदस्य के स्थान पर किसी अन्य सदस्य को नामांकित किया जाए।

4. प्रत्येक विभाग का संबंधित मंत्री अपने विभाग से संबद्ध परामर्शदात्री समिति के सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा। जब कभी साधारण कारणों से यह संभव न हो तो सम्मेलन की अध्यक्षता विभाग के राज्य मंत्री या राज्य मंत्री की अनुपस्थिति में उपमंत्री द्वारा की जाएगी अन्यथा सम्मिलन मुल्तवी कर दिया जाएगा। परामर्श समिति की बैठक की कार्यवाही जारी रखने हेतु कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। यदि बैठक में एक भी सदस्य उपस्थित हुआ तो बैठक सम्पन्न हो सकेगी। यदि दो या दो से अधिक विभागों की संयुक्त समिति बनाई जाती है, जिनके प्रभारी मंत्री पृथक–पृथक हैं, ऐसी समिति की अध्यक्षता समिति के विभागों से संबंधित प्रभारी मंत्रियों में से उपलब्ध वरिष्ठतम मंत्री द्वारा की जाएगी। उनकी अनुपस्थिति में समिति की अध्यक्षता विभागों से संबंधित प्रभारी राज्य मंत्रियों में से वरिष्ठतम राज्यमंत्री द्वारा की जाएगी। प्रभारी मंत्री/राज्यमंत्री की अध्यक्षता में विभागों की पृथक–पृथक बैठक भी आयोजित की जा सकेगी। किसी मंत्री का विभाग बदलने पर वह केवल उससे संबद्ध विभाग की परामर्श समिति का अध्यक्ष रह सकेगा। इस परिर्वतन को संसदीय कार्य विभाग का सचिव अधिसूचित करेगा।

5. (1) समितियों की बैठकों की तिथि, समय तथा स्थान, संबंधित विभाग, समिति के अध्यक्ष से निश्चित कराकर, बैठक की प्रस्तावित तिथि से 15 दिन पूर्व अथवा कम समय उपलब्ध होने पर दूरभाष/फैक्स से समिति के नियमित सदस्यों को सूचित करेगा तथा उसकी सूचना संसदीय कार्य विभाग को भी देगा। बैठक स्थगित होने की सूचना भी संबंधित विभाग द्वारा ही दी जाएगी।

(2) बैठकों में चर्चा के लिए सुझाव आदि सदस्यों द्वारा संबंधित विभाग को सीधे भेजे जाएंगे तथा संबंधित विभाग बैठक की कार्य सूची विस्तृत टीप के साथ तैयार कर समिति के सदस्यों को तथा संसदीय कार्य विभाग को बैठक से कम से कम दो दिन पूर्व वितरित करेगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक परामर्श समिति की बैठक में संबंधित विभाग द्वारा एक नीति विषयक प्रश्न पर भी एक संक्षेपिका बनाकर रखी जा सकेगी ताकि माननीय सदस्य द्वारा उस पर विचार–विमर्श कर राय दी जा सके और शासन की नीति को अंतिम रूप देने में मदद मिले।

(3) यदि समिति के सदस्य से भिन्न कोई सदस्य किसी विशिष्ट समिति की बैठक में चर्चा के लिये किसी बात का सुझाव दे तो उसे बैठक में इन शर्तो के अध्यधीन रहते हुए आमंत्रित किया जा सकेगा कि वह ऐसी बैठकों में उपस्थित होने के लिए किसी यात्रा भत्ते या दैनिक भत्ते पाने का हकदार नहीं होगा। तथापि नियमित सदस्य अंतःसत्रीय कालावधि के दौरान आयोजित बैठकों में उपस्थित रहने के लिये प्रशासकीय आदेशों के अनुसार यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते पाने के हकदार रहेंगे।

6. (1) सामान्यतया प्रत्येक समिति की बैठक वर्ष में चार बार रखी जाएगी, जिनमें से दो बैठकें अनिवार्य होंगी।

(2) परामर्श समिति की बैठक भोपाल में ही आयोजित की जाना चाहिये। यदि किन्ही कारणों से भोपाल से बाहर किन्तु राज्य के अंदर बैठक रखना आवश्यक हो तो संबंधित विभाग के मंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में अनुमति प्राप्त करेंगे।

(3) परामर्श समिति की बैठक में सचिव व विभागाध्यक्ष ही उपस्थित रहेंगे। यदि संबंधित विभाग के सचिव की दृष्टि में बैठक में अन्य किसी अधिकारी की उपस्थिति अत्यन्त आवश्यक हो तो वे उनकी उपस्थिति के लिए प्रभारी मंत्री जी से अपवाद के रूप में अनुमति प्राप्त कर लेंगे।

(4) किसी भी समिति का सम्मिलन –

(क) भोपाल में रखे जाने की दशा में समिति की बैठक की तिथि, स्थान पर स्वल्पाहार आदि की व्यवस्था संबंधित विभाग द्वारा की जाएगी।

(ख) भोपाल से बाहर रखे जाने की दशा में ऐसे सम्मिलनों से संबंधित संपूर्ण व्यवस्था, जैसे बैठक का स्थान, सदस्यों तथा संसदीय कार्य विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के ठहरने की व्यवस्था तथा आरक्षण, बैठक के समय जलपान या स्वल्पाहार आदि की व्यवस्था संबंधित विभाग द्वारा की जाएगी।

7. प्रत्येक समिति का सम्मिलन सुचारु रुप से चलाने, अगले सम्मिलन की तारीख निश्चित कराने, उपस्थित रहने वाले सदस्यों की सुविधाओं का ध्यान रखने तथा संबंधित मंत्री तथा सदस्यों की सहायता के लिये संसदीय कार्य विभाग का सचिव स्वयं या उसके द्वारा समय–समय पर पारित सामान्य अथवा विशेष आदेशानुसार नाम–निर्दिष्ट अधिकारी या अधिकारीगण उपस्थित रहेंगे।

8. विशिष्ट विषयों पर सम्मिलनों में हुई चर्चाओं का संक्षिप्त अभिलेख एवं वृत्त (डपदनजमे) जिनके लिए पर्याप्त सूचना दी जा चुकी हो, सदस्यों में परिचालित किया जाएगा। संबंधित विभाग प्रत्येक सम्मिलन के वृत्त तैयार कर अगले सम्मिलन की तारीख के कम से कम 15 दिन पूर्व संबंधित सदस्यों को भेजेगा तथा उसकी एक प्रति संसदीय कार्य विभाग को भी भेजेगा।

9. जहां समिति के विचारों में मतैक्य हो तो सरकार सामान्य रूप से उस विचार को मान लेगी, किन्तु निम्नलिखित अपवादों के साथ, अर्थात् :–

(1) कोई ऐसा विचार जिसमें वित्तीय विवक्षाएं सन्निहित हों,

(2) कोई ऐसा विचार जो राज्य की सुरक्षा से संबंधित हो, और

(3) कोई भी ऐसा विषय जो स्वायत्त निगम की व्याप्ति के अन्तर्गत आता हो,

विचार से सहमत न होने की दशा में समिति को उसके कारण बतलाए जाएंगे।

10 ये समितियां समस्त विभागों के लिए बनायी जाएंगी।

11. समितियों का गठन अथवा पुनर्गठन सामान्यतः बजट सत्रों के समय ही किया जायगा। यह कार्य संसदीय कार्य विभाग द्वारा मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त किया जाएगा। परन्तु समितियों में अन्य किसी भी प्रकार का संशोधन, जैसे – मंत्रि–मण्डल में फेरबदल के फलस्वरूप समितियों की सूचियों में संशोधन अथवा उप–चुनावों में निर्वाचित हुए सदस्यों का विभिन्न समितियों में मनोनयन आदि संसदीय कार्य मंत्री जी के अनुमोदन के पश्चात् किया जाएगा। संसदीय कार्य विभाग इन समितियों के गठन/पुनर्गठन अथवा अन्य किसी भी प्रकार के संशोधन को अधिसूचित करेगा। समितियों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

12. इन समितियों में विधान सभा सदस्य ऐसे किसी भी विषय या विषयों पर चर्चा कर सकेंगे जिन पर कि यथोचित रूप से विधान सभा में चर्चा की जा सकती हो। तथापि सदन में ऐसी किसी बात को, जो परामर्श समितियों में हुई हो, उल्लेख करना वांछनीय नहीं होगा।

...

परिशिष्ट–5

(देखें पद 7.1.4)

परामर्शदात्री समितियां

क्र.	समिति का नाम
1	सामान्य प्रशासन / प्रवासी भारतीय विभाग परामर्शदात्री समिति
2	नर्मदा घाटी विकास / विमानन विभाग परामर्शदात्री समिति
3	संस्कृति / पर्यटन विभाग परामर्शदात्री समिति
4	गृह / जेल विभाग परामर्शदात्री समिति
5	वित्त / योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग परामर्शदात्री समिति
6	वाणिज्यिक कर विभाग परामर्शदात्री समिति
7	जल संसाधन विभाग परामर्शदात्री समिति
8	पंचायत एवं ग्रामीण विकास / सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग परामर्शदात्री समिति
9	सहकारिता विभाग परामर्शदात्री समिति
10	वन विभाग परामर्शदात्री समिति
11	नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग परामर्शदात्री समिति
12	लोक निर्माण विभाग परामर्शदात्री समिति
13	चिकित्सा शिक्षा / आयुष विभाग परामर्शदात्री समिति
14	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास / संसदीय कार्य विभाग परामर्शदात्री समिति
15	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परामर्शदात्री समिति
16	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग परामर्शदात्री समिति
17	किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग परामर्शदात्री समिति
18	उच्च शिक्षा विभाग परामर्शदात्री समिति
19	तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग परामर्शदात्री समिति
20	उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण / कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग परामर्शदात्री समिति
21	विधि और विधायी कार्य विभाग परामर्शदात्री समिति
22	पशुपालन / मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग परामर्शदात्री समिति
23	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परामर्शदात्री समिति
24	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग परामर्शदात्री समिति
25	खेल और युवा कल्याण / धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग परामर्शदात्री समिति
26	स्कूल शिक्षा विभाग परामर्शदात्री समिति
27	जनसंपर्क विभाग परामर्शदात्री समिति
28	खनिज साधन विभाग परामर्शदात्री समिति
29	ऊर्जा / नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग परामर्शदात्री समिति

क्र.	समिति का नाम
30	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण/विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग परामर्शदात्री समिति
31	श्रम विभाग परामर्शदात्री समिति
32	राजस्व/ पुनर्वास विभाग परामर्शदात्री समिति
33	आदिम जाति/अनुसूचित जाति कल्याण विभाग परामर्शदात्री समिति
34	महिला एवं बाल विकास विभाग परामर्शदात्री समिति
35	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग परामर्शदात्री समिति
36	परिवहन विभाग परामर्शदात्री समिति
37	जन शिकायत निवारण/लोक सेवा प्रबंधन विभाग परामर्शदात्री समिति

...

भाग–दो

पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ

अध्यक्ष

डॉ. नरोत्तम मिश्रा

महानिदेशक

श्रीमती वीरा राणा

संचालक

श्री राजेश गुप्ता

उप संचालक

श्री एम.के. राजोरिया

<u>पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ</u>

<u>प्रस्तावना</u> – मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग के अधीन विधान सभा के प्रथम अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे के नाम पर भोपाल में दिनांक 24.4.1998 से संसदीय विद्यापीठ कार्यरत है। विद्यापीठ एवं इसकी नियमावली मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के अधीन पंजीकृत है। विद्यापीठ का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश है।

2. <u>उद्देश्य</u> –

1	संसदीय लोकतंत्र के संबंध में लोकरूचि को जागृत करने के लिए जनसंचार माध्यमों का उपयोग।
2	पंचायतों, स्वात्तशासी संस्थाओं और विधान–मंडल के नव–निर्वाचित सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा उसके लिए साहित्य तैयार करना।
3	संसद / विधान मंडल / अन्य प्रतिनिधि संस्थाओं की कार्यवाही को प्रतिवेदित करने वाले पत्रकारों को प्रशिक्षण।
4	विधान मंडल सचिवालय और अन्य शासकीय एवं अर्द्धशासकीय तथा गैर सरकारी संस्थाओं के अधिकारियों / कर्मचारियों को प्रशिक्षण।
5	शालेय और महाविद्यालयीन स्तर पर जिला / संभागीय एवं राज्य स्तरीय आदर्श संसद प्रतियोगिता का आयोजन करना।
6	देश के विभिन्न विधान–मंडलों के प्रक्रिया / नियमों / अध्यक्षीय आदेशों, परिपाटियों का सार संग्रह तैयार करना और उसका प्रकाशन।
7	संविधान और संसदीय लोकतंत्र से संबंधित सैद्धांतिक विषयों पर इन्टरफेकल्टी शोध कार्य सम्पादित करना।
8	संसदीय विषयों पर निबंध / लेख प्रतियोगिता / वाद विवाद, सेमीनार आयोजित करना।
9	संसदीय संग्रहालय एवं अभिलेखागार की स्थापना करना।
उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति भारत सरकार, संसदीय कार्य मंत्रालय एवं मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय के सहयोग एवं समन्वय से की जाती है।	

3. <u>संरचना</u> – माननीय डॉ. नरोत्तम मिश्र, मंत्री एवं श्रीमती वीरा राणा, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग विद्यापीठ के क्रमशः पदेन अध्यक्ष एवं महानिदेशक हैं। अधिकारियों एवं कर्मचारियों के 18 पद स्वीकृत हैं, विवरण परिशिष्ट–एक पर अवलोकनीय है।

4. साधारण सभा/प्रबंध समिति – संसदीय विद्यापीठ के कार्य संचालन हेतु माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग की अध्यक्षता में साधारण सभा एवं प्रबंध समिति हैं।

5. अनुदान – संसदीय कार्य विभाग के वर्ष 2017–18 के बजट में संसदीय विद्यापीठ के लिए रूपये 1.20 करोड़ का अनुदान स्वीकृत किया गया है।

6. संसदीय विषयों में कार्यक्रम/प्रतियोगिताएं –

6.1 (1) रिफ्रेशर कोर्स एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम – मध्यप्रदेश के निम्नलिखित प्रतिभागियों को भोपाल में संसदीय पद्धति एवं प्रक्रिया की जानकारी दी गई –

सम्पन्न कार्यक्रम	प्रशिक्षार्थी			कुल
	अधिकारी	कर्मचारी	विद्यार्थी	
56	157	203	2001	2361
विस्तृत विवरण परिशिष्ट – दो पर अवलोकनीय है।				

(2) संसदीय कार्यशाला – मध्यप्रदेश की शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों को संसदीय पद्धति एवं प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए निम्नानुसार राशि आवंटित की गई –

क्र.	संस्थान	आवंटित राशि X संख्या	कुल रूपये
1	महाविद्यालय	5000X43	2,15,000/–
2	विद्यालय	5000X25	1,25,000/–
योग			3,40,000/–
संसदीय कार्यशाला एवं मंचन की मुख्य नियम–शर्तें परिशिष्ट–तीन पर अवलोकनीय है।			

6.2 युवा संसद – विद्यालयीन युवा संसद भारत सरकार, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है। मध्यप्रदेश की शिक्षण संस्थाओं में युवा संसद मंचन कराने हेतु दिनांक 15.9.2017 को सम्पन्न अभिविन्यास पाठ्यक्रम में 80 युवा संसद प्रभारी प्राध्यापकों एवं अध्यापकों को श्री आर.सी. महान्ति, उप सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली ने जानकारी दी।

(1) युवा संसद प्रतियोगिता – इस वर्ष भोपाल स्थित शिक्षण संस्थाओं में युवा संसद प्रतियोगिता के अधीन मंचन कराने हेतु निम्नानुसार राशि आवंटित की गई –

क्र.	संस्थान	आवंटित राशि	कुल रूपये
1	महाविद्यालय	10,000X09	90,000/–
2	विद्यालय	10,000X18	1,80,000/–
		योग	2,70,000/–
मुख्य नियम–शर्तें परिशिष्ट–चार पर अवलोकनीय हैं।			

युवा संसद प्रतियोगिता 2016–17 में निम्नलिखित विजेता शिक्षण संस्थाओं को पुरस्कार दिए गए –

विश्वविद्यालय / महाविद्यालय			
1	शास. महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय भोपाल	प्रथम	15,000 / –
2	पीपुल्स पत्रकारिता शिक्षण संस्थान, भोपाल	द्वितीय	10,000 / –
3	श्री सत्यसाई महिला महाविद्यालय, भोपाल	तृतीय	5,000 / –
4	केरियर विधि महाविद्यालय, भोपाल	तृतीय	5,000 / –
विद्यालय (शासकीय)			
1	शास. नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चूनाभट्टी, भोपाल	प्रथम	15,000 / –
2	शास. हमीदिया कन्या उ.मा.वि. क्र.–2 भोपाल	द्वितीय	10,000 / –
3	आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, टी.टी. नगर, भोपाल	तृतीय	5,000 / –
विद्यालय (अशासकीय)			
1	इन्टरनेशनल पब्लिक स्कूल मिसरोद, भोपाल	प्रथम	15,000 / –
2	ज्ञानगंगा इन्टरनेशनल पब्लिक स्कूल मिसरोद, भोपाल	द्वितीय	10,000 / –
3	महर्षि फॅार एक्सीलेंस एजूकेशनल सी.से. स्कूल, भोपाल	तृतीय	5,000 / –
उक्त संस्थाओं के चयनित विद्यार्थियों को दिनांक 19–20 दिसम्बर, 2017 को लोकसभा, राज्य सभा की कार्यवाही, संसदीय संग्रहालय तथा पुस्तकालय का अवलोकन कराया गया।			

(2) युवा संसद मंचन – मध्यप्रदेश की शिक्षण संस्थाओं में युवा संसद मंचन कराने हेतु निम्नानुसार राशि आवंटित की गई –

क्र.	संस्थान	आवंटित राशि	कुल रूपये
1	महाविद्यालय	10,000 X39	3,90,000 / –
2	विद्यालय	10,000 X23	2,30,000 / –
		योग	6,20,000 / –
मुख्य नियम–शर्तें परिशिष्ट–तीन पर अवलोकनीय है।			

6.3 (1) विश्वविद्यालयीन / महाविद्यालयीन वाद–विवाद प्रतियोगिता – भोपाल के विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु दिनांक 19.1.2018 को ''क्या लोकसभा एवं विधान सभा के चुनाव एक साथ कराना देशहित में है?'' विषय पर सम्पन्न प्रतियोगिता में 55 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

निम्नलिखित विद्यार्थी विजेता घोषित किए गए –

1	कु. प्रेरणा मिश्रा, बी.एससी. द्वितीय सेमेस्टर पीपुल्स पत्रकारिता एवं शिक्षण संस्थान, भोपाल	प्रथम	10,000 / –

2	कु. मोहिता जोशी, एम.ए. द्वितीय सेमेस्टर शास. सरोजिनी नायडू कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल	द्वितीय	7,500 / —
3	श्री आदित्य शर्मा, बी.ए. तृतीय सेमेस्टर उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल	तृतीय	5,000 / —
4	श्री सौरभ कुमार, बी.एससी. ई.एम. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल	सांत्वना	2,500 / —
महाविद्यालयीन एवं विद्यालयीन वाद–विवाद प्रतियोगिता की मुख्य नियम–शर्तें परिशिष्ट–पांच पर अवलोकनीय हैं।			

(2) विद्यालयीन वाद–विवाद प्रतियोगिता – भोपाल के विद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु दिनांक 17.11.2017 को ''क्या भारत की संसद प्रजातंत्र का आईना है?'' विषय पर सम्पन्न प्रतियोगिता में 73 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें निम्नलिखित विद्यार्थी विजेता घोषित किए गए –

1	कु. फाईजा अजीम सिद्दीकी, नवमी सेंट मेरी कान्वेंट सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल, भोपाल	प्रथम	10,000 / —
2	कु. जान्हवी पलान्दुरकर, ग्यारहवीं दिल्ली पब्लिक स्कूल, कोलार रोड, भोपाल	द्वितीय	7,500 / —
3	कु. तनिशा, ग्यारहवीं इन्टरनेशनल पब्लिक स्कूल, भोपाल	तृतीय	5,000 / —
4	कु. शिखा यादव, ग्यारहवीं महर्षि सेन्टर फॉर एक्सीलेंस सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल, भोपाल	सांत्वना	2,500 / —
5	कु. अंजली गौतम, नवमी महर्षि सेन्टर फॉर एक्सीलेंस सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल,भोपाल	सांत्वना	2,500 / —
6	कु. मुस्कान तिवारी सेंट मेरी कान्वेंट सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल, भोपाल	सांत्वना	2,500 / —

6.4 जिला स्तरीय वाद–विवाद प्रतियोगिता – भोपाल के बाहर, मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों / उत्कृष्ट विद्यालयों में पृथक–पृथक जिला स्तरीय वाद–विवाद प्रतियोगिता कराने हेतु निम्नानुसार राशि आवंटित की गई –

क्र.	संस्थान	आवंटित राशि	कुल रूपये
1	महाविद्यालय	12000X5	60,000 / —
2	विद्यालय	12000X5	60,000 / —
		योग	1,20,000 / —
मुख्य नियम–शर्तें परिशिष्ट – छह पर अवलोकनीय हैं।			

6.5 <u>सेमीनार</u> – मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, विद्यालयों के प्राध्यापकों, अध्यापकों एवं शोधार्थियों हेतु दिनांक 8.2.2017 को ''भारत में लोकतंत्र और विविधता'' विषय पर सम्पन्न राज्य स्तरीय सेमीनार में निम्नलिखित रिसोर्स पर्सन्स के समक्ष प्रतिभागियों ने शोध–पत्र वाचन किया –

सत्र	विषय	विशेषज्ञ
प्रथम सत्र	भारत में लोकतंत्र और विविधता	श्री शरद द्विवेदी, हेड एंड चीफ एडिटर, बंसल न्यूज
द्वितीय सत्र	भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां	श्री विभांशु जोशी, सदस्य, बाल अधिकार संरक्षण आयोग
मुख्य नियम–शर्तें परिशिष्ट – सात पर अवलोकनीय हैं।		

6.6 <u>व्याख्यान–माला</u> – मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, विद्यालयों के प्राध्यापकों, अध्यापकों एवं शोधार्थियों हेतु दिनांक 23.12.2017 को ''लोकतंत्र को मजबूत बनाने हेतु मतदान की अनिवार्यता'' विषय पर सम्पन्न राष्ट्रीय व्याख्यानमाला में 108 प्राध्यापकों, अध्यापकों एवं शोधार्थियों ने भाग लिया। व्याख्यानमाला में निम्नलिखित रिसोर्स पर्सन्स द्वारा व्याख्यान दिए गए –

डॉ. नरेन्द्र कुमार थापक, कुलपति, स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)	लोकतंत्र को मजबूत बनाने हेतु मतदान की अनिवार्यता
डॉ. रमा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, आर्य कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इलाहाबाद (उ.प्र.)	मतदान, मतदाता और भ्रान्तियां
मुख्य नियम–शर्ते परिशिष्ट – आठ पर अवलोकनीय हैं।	

6.7 <u>निबंध प्रतियोगिता</u> –

(अ) <u>विश्वविद्यालयीन/महाविद्यालयीन</u> – वर्ष 2016–17 में ''लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका'' विषय पर राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता हेतु 221 प्रविष्टियां प्राप्त हुई थीं। विजेताओं को निम्नानुसार पुरस्कार दिए गए –

1	कु. सुमन लोधी, बी.एससी. प्रथम सेमेस्टर शास. महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, भोपाल	प्रथम	10,000/–
2	श्री अनिश केशरी, बी.एससी. द्वितीय सेमेस्टर शासकीय विज्ञान स्वशासी महाविद्यालय, जबलपुर	द्वितीय	7,500/–
3	कु. भूमिका सोनी, बी.एससी. चतुर्थ सेमेस्टर पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शाजापुर	तृतीय	5,000/–
4	कु. मुब्बशिरा खान, बी.ए. एलएल.बी. द्वितीय सेमेस्टर केरियर विधि महाविद्यालय, भोपाल	सांत्वना	2,500/–
5	श्री ऋषभ जायसवाल, बी.ए. पंचम सेमेस्टर श्री कृष्णाजी पवार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देवास	सांत्वना	2,500/–
महाविद्यालयीन एवं विद्यालयीन निबंध प्रतियोगिता की मुख्य नियम–शर्ते परिशिष्ट–नौ पर अवलोकनीय हैं।			

वर्ष 2017—18 का विषय ''संसदीय समितियों की भूमिका और व्यवहार्यता'' है, जिस पर अंतिम दिनांक 31.1.2018 तक 164 प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं।

(ब) विद्यालयीन — वर्ष 2016—17 में ''लोकतंत्र और सुशासन'' विषय पर राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता हेतु 201 प्रविष्टियां प्राप्त हुई थीं। विजेताओं को निम्नानुसार पुरस्कार दिए गए—

1	कु. गीतश्री पटेल, दसवीं जवाहर नवोदय विद्यालय, घट्टिया, उज्जैन	प्रथम	10,000/—
2	कु. प्रगति पुरोहित, नवीं दिल्ली पब्लिक स्कूल, कोलार रोड, भोपाल	द्वितीय	7,500/—
3	कु. वैशाली पटेल, ग्यारहवीं जवाहर नवोदय विद्यालय, पवारखेड़ा, बैतूल	तृतीय	5,000/—
4	कु. शिखा यादव, दसवीं महर्षि सेंटर फॉर एजुकेशनल एक्सीलेंस सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल, लांबाखेड़ा, भोपाल	सांत्वना	2,500/—
5	कु. मिहिका यादव, नवीं दिल्ली पब्लिक स्कूल, कोलार रोड, भोपाल	सांत्वना	2,500/—

वर्ष 2017—18 का विषय ''विधान मंडल और उसके सदस्यों के विशेषाधिकार'' है, जिस पर अंतिम दिनांक 31.1.2018 तक 280 प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं।

7. वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह — वर्ष 2016—17 में सम्पन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को दिनांक 21.8.2017 को माननीय श्री शरद जैन, राज्य मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग द्वारा माननीय श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, विधायक, मंदसौर, प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा की उपस्थिति में पुरस्कार वितरित किए गए।

8. पुण्य स्मरण — पंडित कुंजीलाल दुबे की जन्म तिथि दिनांक 18 मार्च एवं पुण्यतिथि 2 जून को उनका स्मरण कर श्रृद्धा सुमन अर्पित किए गए।

9. उपलब्धियां —

1	वर्ष 2016—17 में सम्पन्न युवा संसद प्रतियोगिता में व्यय राशि रूपये 5.00 लाख की प्रतिपूर्ति भारत सरकार, संसदीय कार्य मंत्रालय से प्राप्त हुई।
2	महाविद्यालय के स्नातक के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को 60 घंटे की इंटर्नशीप करना होती है। प्रतिवेदित वर्ष में 10 विद्यार्थियों ने विद्यापीठ में इन्टर्नशिप की तथा 4 विद्यार्थी इंटर्नशीप कर रहे हैं।
3	समाज के समस्त वर्गो को संसद एवं विधान—मंडलों की तथा उनके प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों की सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक जानकारी दी गई।

ई—मेल — pkldrsv@gmail.com तथा pkldrsv_bpl@hotmail.com है।

परिशिष्ट–एक
(देखें पद 3)

संसदीय विद्यापीठ

स्वीकृत पद

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद	वेतनमान	ग्रेड पे
1	संचालक	1	37400–6700	8700
2	उप संचालक	1	15600–39100	6600
3	शोध अधिकारी	1	15600–39100	5400
4	निज सहायक	1	9300–34800	3600
5	शीघ्रलेखक	3	9300–34800	3200
6	लेखापाल	1	9300–34800	3200
7	सहायक ग्रेड–1	2	9300–34800	3200
8	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	1	5200–20200	2400
9	सहायक ग्रेड–3	1	5200–20200	1900
10	वाहन चालक	1	5200–20200	1900
11	भृत्य	5	4440–7440	1300
	योग	18	–	–

राजपत्रित पदों पर प्रतिनियुक्ति/संविदा नियुक्ति तथा अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति/पदोन्नति क्रमशः संसदीय विद्यापीठ नियमावली तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा तथा सेवा की अन्य शर्तें नियम, 2010 के प्रावधानों के अधीन की जाती हैं।

...

परिशिष्ट–दो
(देखें पद 6.1)

फरवरी, 2018 तक सम्पन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रशिक्षण क्र.	विवरण	अवधि	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या			
			अधिकारी	कर्मचारी	अन्य	कुल
1	श्री सत्यसाईं महिला महाविद्यालय, भोपाल	7 एवं 9 जनवरी, 2017	2	–	43	45
2	श्री सत्यसाईं महिला महाविद्यालय, भोपाल	10–11 जनवरी, 2017	2	–	45	47
3	वर्ल्ड वे इन्टरनेशनल स्कूल, भोपाल	17–18 जनवरी, 2017	–	2	40	42
4	शास. महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल	24–25 जनवरी, 2017	3	–	36	39
5	शास. हमीदिया कन्या उ.मा.वि. क्र. 2 भोपाल	30–31 जनवरी, 2017	1	3	42	46
6	माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल	2–3 फरवरी, 2017	02	–	30	32
7	माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल	4 एवं 6 फरवरी, 2017	02	–	40	42
8	सरस्वती बाल मंदिर/उ.मा. विद्यालय, भोपाल	13–14 फरवरी, 2017	–	02	40	42
9	शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भेल, भोपाल	27–28 फरवरी, 2017	02	–	50	52
10	शास. महाविद्यालय, करोंद, भोपाल	1–2 मार्च, 2017	02	01	33	36
11	प्रेस्टिज इन्सटीट्युट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च सेन्टर, इन्दौर	7 मार्च, 2017	01	–	28	29
12	शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, भोपाल	9–10 मार्च 2017	02	–	34	36
13	सागर पब्लिक स्कूल, गांधीनगर, भोपाल	20–21 मार्च, 2017	–	02	38	40
14	शासकीय चन्द्र शेखर आजाद स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीहोर	23 मार्च, 2017	03	01	35	39
15	शास. राज्य स्तरीय स्नातकोत्तर विधि महाविद्यालय, भोपाल	4–5 मई 2017	01	–	37	38
16	मंत्रालय, विभागाध्यक्ष कार्यालयों के कर्मचारियों हेतु	30 मई, 2017	–	38	–	38
17	मंत्रालय, विभागाध्यक्ष कार्यालयों के अधिकारियों हेतु	14 जून, 2017	27	–	–	27
18	मंत्रालय, विभागाध्यक्ष कार्यालयों के कर्मचारियों हेतु	21 जून, 2017	–	31	–	31
19	मंत्रालय, विभागाध्यक्ष कार्यालयों के कर्मचारियों हेतु	7 जुलाई, 2017	–	27	–	27

प्रशिक्षण क्र.	विवरण	अवधि	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या			
			अधिकारी	कर्मचारी	अन्य	कुल
20	भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के विद्यार्थियों हेतु	26–27 जुलाई, 2017	02	–	43	45
21	भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के विद्यार्थियों हेतु	1–2 अगस्त, 2017	02	–	41	43
22	भारती विद्या मंदिर हायर सेकण्ड्री स्कूल, भोपाल	31 अगस्त–1 सितंबर, 2017	–	02	40	42
23	मंत्रालय, विभागाध्यक्ष कार्यालय, एवं निगम मण्डल के अधिकारियों हेतु	8 सितंबर, 2017	23	–	–	23
24	केरियर विधि महाविद्यालय, भोपाल	18–19 सितम्बर,2017	02	–	33	35
25	सरोजिनी नायडू कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल	20–21 सितम्बर,2017	02	–	42	44
26	शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बागसेवनिया, भोपाल	22–23 सितम्बर,2017	01	03	39	43
27	केरियर विधि महाविद्यालय, भोपाल	25–26 सितम्बर,2017	02	–	43	45
28	क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल	28–29 सितम्बर,2017	02	–	39	41
29	श्री सत्यसाई महिला महाविद्यालय, भोपाल	6–7 अक्टूबर, 2017	03	–	38	41
30	संत हिरदाराम कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल	9–10 अक्टूबर, 2017	02	–	43	45
31	पीपुल्स पत्रकारिता शिक्षण संस्थान, भोपाल	11–12 अक्टूबर, 2017	02	–	29	31
32	दिल्ली पब्लिक स्कूल, भोपाल	24–25 अक्टूबर, 2017	–	02	41	43
33	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सीहोर	26 अक्टूबर, 2017	01	02	49	52
34	सेंट जॉर्ज सीनियर को–एड स्कूल, भोपाल	27–28 अक्टूबर, 2017	–	02	44	46
35	इन्टरनेशनल पब्लिक स्कूल, भोपाल	30–31 अक्टूबर, 2017	–	02	41	43
36	श्री नारायण विद्या मंदिर शास.उत्कृष्ट उ.मा. विद्यालय क्रमांक 2, देवास	02 नवम्बर, 2017	–	03	45	48
37	ब्रिगेडियर त्रिवेदी मेमोरियल हायर सेकेण्डरी स्कूल, भोपाल	6–7 नवम्बर, 2017	–	02	46	48
38	शासकीय राज्य स्तरीय विधि महाविद्यालय, भोपाल	8–9 नवम्बर, 2017	02	–	26	28
39	सेम कॉलेज, भोपाल	15–16 नवंबर, 2017	02	–	43	45
40	शास. नवीन उ.मा.विद्यालय, चूनाभट्टी, भोपाल	20–21 नवंबर, 2017	–	03	37	40
41	आई.ई.एस. पब्लिक स्कूल, भोपाल	23–24 नवंबर,2017	–	02	42	44
42	महर्षि सेन्टर फॉर एजुकेशनल एक्सीलेन्स, भोपाल	28–29 नवंबर,2017	–	02	43	45

प्रशिक्षण क्र.	विवरण	अवधि	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या			
			अधिकारी	कर्मचारी	अन्य	कुल
43	शासकीय कन्या महाविद्यालय, रायसेन	30 नवंबर, 2017	02	—	34	36
44	अंकुर हायर सेकेण्डरी स्कूल, भोपाल	4—5 दिसंबर, 2017	—	01	39	40
45	सरदार पटेल पब्लिक स्कूल, भोपाल	7—8 दिसंबर, 2017	—	03	44	47
46	सेम कॉलेज, भोपाल	19—20 दिसंबर,2017	02	—	44	46
47	शास.हमीदिया कन्या उ.मा.वि. क्र.2 भोपाल	29—30 दिसंबर,2017	—	4	35	39
48	स्वामी विवेकानन्द विश्वविद्यालय, सागर	5 जनवरी, 2018	29	—	239	268
49	सरस्वती बाल विद्या मंदिर/उ.मा. विद्यालय, बागदिलकुशा, भोपाल	11—12 जनवरी,2018	—	2	42	44
50	श्री अरबिन्दो स्कूल, भोपाल	15 जनवरी 2018	—	2	27	29
51	श्री सत्यसाई महिला महाविद्यालय, भोपाल	17—18 जनवरी,2018	5	—	39	44
52	शासकीय महाविद्यालय, गैरतगंज, रायसेन	1 फरवरी, 2018	4	—	42	46
53	उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल	2—3 फरवरी, 2018	2	—	32	34
54	उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल	8—9 फरवरी, 2018	2	—	38	40
55	माननीय मंत्रियों की निजी पदस्थापना में पदस्थ स्टाफ	21 फरवरी, 2018	21	24	—	45
56	अधिकारियों की निजी पदस्थापना में पदस्थ स्टाफ	23 फरवरी, 2018	—	35	—	35
योग			157	203	2001	2361

...

परिशिष्ट–तीन
(देखें पद 6.1(2)एवं 6.2(2))

संसदीय कार्यशाला तथा युवा संसद मंचन

मुख्य नियम–शर्तें

ये कार्यक्रम मध्यप्रदेश की शिक्षण संस्थाओं में कराए जाते हैं –

1	कार्यक्रमों हेतु राशि	कुलपति / प्राचार्य से कार्यक्रम की संभावित तिथि तथा प्रभारी की जानकारी प्राप्त होने पर उन्हें कार्यशाला कराने हेतु रूपये 5,000 / – एवं युवा संसद मंचन हेतु रूपये 10,000 / – का चेक, मंचन सी.डी. एवं साहित्य भेजे जाएंगे।
2	उद्घाटन	परम्परागत तरीके एवं यथासंभव माननीय वर्तमान / पूर्व जन–प्रतिनिधि से कराते हुए उनका सम्बोधन कराया जाना चाहिए।
		संसदीय कार्यशाला (Parliamentry Workshop)
1	प्रतिभागी	न्यूनतम 50 विद्यार्थी प्रतिभागियों हेतु अधिकतम ढाई घंटे तक कार्यशाला कराई जाए। शिक्षण संस्था द्वारा प्रतिभागियों को साहित्य एवं पेड–पेन का फोल्डर दिया जाएगा।
2	व्याख्यान	वर्तमान / भूतपूर्व जन–प्रतिनिधि एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा भारत का संविधान, विधान मंडल का गठन, संरचना, अवधि, सत्र, विधान सभा प्रश्न, शून्यकाल, स्थगन, ध्यानाकर्षण, अल्पकालीन चर्चाएं, बजट, विधि निर्माण आदि पर व्याख्यान दिए जाएं।
3	मानदेय	शिक्षण संस्था द्वारा प्रति व्याख्यान हेतु जन–प्रतिनिधि को रुपये 1000 / – एवं विषय विशेषज्ञ को रुपये 800 / – मानदेय का भुगतान किया जाए। संबंधित शिक्षण संस्था के विषय विशेषज्ञ को मानदेय की पात्रता नहीं है।
4	प्रमाण पत्र	जन–प्रतिनिधि, कुलपति / प्राचार्य आदि से समस्त प्रतिभागी विद्यार्थियों को प्रमाण–पत्र वितरण कराकर कार्यशाला का समापन किया जाए।
		युवा संसद मंचन (Youth Parliament Play)
1	प्रतिभागी	विद्यार्थी प्रतिभागियों से लोक सभा / विधान सभा कार्यवाही का मंचन कराया जाए। मंचन पूर्व प्रभारी द्वारा विद्यार्थियों को रिहर्सल कराई जाए।
2	निर्णायक मंडल	जन–प्रतिनिधि, कुलपति / प्राचार्य, विभागाध्यक्ष एवं प्रभारी / अन्य प्राध्यापक / अध्यापक में से तीन निर्णायक होंगे, जिनको मंचन पूर्व प्रतिभागियों के नाम, कक्षा एवं भूमिका तथा मंचन विषयों की सूचियां दी जाएं। निर्णायक अधिकतम पांच विद्यार्थियों का चयन विशेष दक्षता पुरस्कार हेतु करेंगे।
3	मंचन	चयनित विद्यार्थी निर्णायक मंडल के समक्ष अधिकतम एक घंटे तक उक्त क्रम के अनुसार कतिपय चयनित विषयों पर मंचन करेंगे, जिसमें 20 मिनिट का प्रश्नकाल करना अनिवार्य है।

4	पुरस्कार	निर्णायकों से पुरस्कार तथा समस्त प्रतिभागी विद्यार्थियों को प्रमाण–पत्र वितरण कराकर मंचन का समापन किया जाए।
5	प्रचार प्रसार	शासन की योजनाओं की जानकारी सर्व–साधारण को हो सके, अतः प्रिन्ट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कार्यक्रमों की प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाए।
6	व्यय विवरण	कार्यक्रम उपरांत 15 दिवस में स्वागत, टेंट सामग्री, स्टेशनरी, बैनर, वेश–भूषा किराये, सी.डी., फोटो, स्वल्पाहार, पुरस्कार, मानदेय एवं प्रमाण–पत्रों पर व्यय के मूल देयक कुलपति/प्राचार्य के सत्यापन, समाचार–पत्र कटिंग एवं फोटो सहित, इस विद्यापीठ को भेजे जाएं। अन्य मद में व्यय स्वीकार नहीं होगा। प्रत्येक कार्यक्रम के मूल देयक पृथक–पृथक भेजना अनिवार्य है। राशि लेकर कार्यक्रम न कराने या कम व्यय होने पर राशि 31 मार्च के पूर्व वापस करना अनिवार्य है। अधिक व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

...

परिशिष्ट–चार
(देखें पद 6.2(1))

युवा संसद प्रतियोगिता

मुख्य नियम–शर्तें

<table>
<tr><td>1</td><td>मंचन हेतु राशि</td><td colspan="3">कुलपति/प्राचार्य से मंचन की संभावित तिथि तथा प्रभारी के नाम, पद एवं मोबाइल की जानकारी (निर्धारित प्रपत्र में) प्राप्त होने पर अनुमोदनानुसार उन्हें मंचन कराने हेतु रुपये 10,000/– का चेक (मंचन सी.डी. एवं साहित्य सहित) भेजा जाएगा।
अशासकीय शिक्षण संस्थाओं को मान्यता प्रमाण पत्र भेजना अनिवार्य है।</td></tr>
<tr><td rowspan="6">2</td><td rowspan="5">निर्णायक मंडल</td><td colspan="3">मंचन कराने की तिथि एवं समय की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित शिक्षण संस्था में निम्नलिखित निर्णायक मंडल को भेजा जाएगा –</td></tr>
<tr><td colspan="2">विश्वविद्यालयीन एवं महाविद्यालयीन</td><td>विद्यालयीन</td></tr>
<tr><td colspan="2">सं.का.वि. का वर्तमान/पूर्व अधिकारी</td><td>सं.का.वि. का वर्तमान/पूर्व अधिकारी</td></tr>
<tr><td colspan="2">विधान सभा का वर्तमान/पूर्व अधिकारी</td><td>विधान सभा का वर्तमान/पूर्व अधिकारी</td></tr>
<tr><td colspan="2">उच्च शिक्षा संचालनालय का अधिकारी</td><td>स्कूल शिक्षा संचालनालय का अधिकारी</td></tr>
<tr><td colspan="4">किसी निर्णायक की अनुपस्थिति या मंचनकर्ता संस्था का अधिकारी निर्णायक मंडल में होने पर इस विद्यापीठ का अधिकारी निर्णायक होगा।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>उद्घाटन</td><td colspan="3">परम्परागत तरीके एवं यथासंभव माननीय वर्तमान/पूर्व जन–प्रतिनिधि से कराते हुए उनका सम्बोधन कराया जाना चाहिए।</td></tr>
<tr><td>4</td><td>मंचन</td><td colspan="3">चयनित विद्यार्थी निर्णायक मंडल के समक्ष अधिकतम एक घंटे तक लोकसभा/विधानसभा की कार्यवाही का, क्रम के अनुसार, कतिपय चयनित विषयों पर मंचन करेंगे, जिसमें 20 मिनिट का प्रश्नकाल करना अनिवार्य है।</td></tr>
<tr><td rowspan="7">5</td><td rowspan="6">अंक</td><td>1</td><td>अनुशासन एवं शिष्टाचार</td><td>10</td></tr>
<tr><td>2</td><td>संसदीय प्रणाली का पालन</td><td>20</td></tr>
<tr><td>3</td><td>प्रश्नों, अनुपूरक प्रश्नों हेतु विषय चयन और उनके उत्तर</td><td>20</td></tr>
<tr><td>4</td><td>वाद–विवाद के लिए विषय का चयन एवं स्तर</td><td>30</td></tr>
<tr><td>5</td><td>भाषण देने का ढंग या गुणवत्ता</td><td>10</td></tr>
<tr><td>6</td><td>कुल मिलाकर अभिनय का सामान्य निर्धारण</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">योग</td><td>100</td></tr>
<tr><td>6</td><td>प्रचार प्रसार</td><td colspan="3">शासन की योजना की जानकारी सर्व–साधारण को हो सके, अतः प्रिन्ट/ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मंचन की प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाए।</td></tr>
</table>

7	पुरस्कार	शासकीय एवं अशासकीय विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों एवं विद्यालयों के लिए पृथक्–पृथक् पुरस्कार हैं –	
		प्रथम	रनिंग शील्ड एक वर्ष हेतु, ट्रॉफी एवं रुपये 15,000/–. लगातार तीन वर्षों तक विजेता रहने पर शील्ड संस्था की हो जाएगी।
		द्वितीय	ट्रॉफी एवं रुपये 10,000/–
		तृतीय	ट्रॉफी एवं रुपये 5,000/–, इनके अलावा –
		उक्त संस्थाओं के विजयी समस्त प्रतिभागियों हेतु मेडल, प्रमाण–पत्र एवं चयनित एक–एक प्रतिभागी को लोक सभा कार्यवाही/भवन का अवलोकन।	
		शेष सभी शिक्षण संस्थाओं के प्रतिभागियों हेतु प्रमाण–पत्र।	
		दो संस्थाओं के अंक समान होने पर अतिरिक्त पुरस्कार।	
		सभी प्रतिभागी शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों को अधिकतम 5–5 विशेष दक्षता पुरस्कार।	
		पुरस्कार राशि का चेक कुलपति/प्राचार्य के नाम से दिया जाएगा। इस राशि का उपयोग, आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों की फीस/ गणवेश/कॉपी–किताब या शैक्षणिक भ्रमण या खेल सामग्री क्रय या मंचनकर्ता विद्यार्थियों में वितरण कर किया जा सकता है।	

...

परिशिष्ट–पांच
(देखें पद 6.3(1))

वाद–विवाद प्रतियोगिता

नियम–शर्तें

भोपाल के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों एवं विद्यालयों के (कक्षा 9वीं से 12वीं तक) विद्यार्थियों के हेतु पृथक–पृथक वाद–विवाद प्रतियोगिता कराई जाती है –

1	भाषा	हिन्दी अथवा अंग्रेजी	
2	प्रतिभागी	प्रत्येक शिक्षण संस्थान से अधिकतम चार प्रतिभागी (दो पक्ष एवं दो विपक्ष में)	
3	विचार हेतु समय	प्रत्येक प्रतिभागी 5 मिनट	
4	निर्णायक मंडल	विश्वविद्यालयीन एवं महाविद्यालयीन	विद्यालयीन
		संचालक, संसदीय विद्यापीठ	संचालक, संसदीय विद्यापीठ
		राजनीति/विधि शास्त्र का प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य या महाविद्यालय के प्राध्यापक
		पत्रकारिता के प्राध्यापक या पत्रकार	पत्रकारिता के प्राध्यापक या पत्रकार
	निर्णायक के शिक्षण संस्थान का निर्णय अन्य से कराया जाएगा।		
5	अंक	विषय–वस्तु	10
		भाषा एवं शैली	05
		अभिव्यक्ति	05
		समग्र प्रभाव	05
		योग	25
6	पुरस्कार	प्रथम	10,000/–
		द्वितीय	7,500/–
		तृतीय	5,000/–
		सांत्वना	2,500/–
समस्त प्रतिभागियों को प्रमाण–पत्र दिया जाएगा। समान अंक होने पर दोनों प्रतिभागियों को समान रूप से विजेता घोषित किया जाएगा।			
अन्य शर्तें निम्नानुसार हैं –			
1	प्रतियोगिता निःशुल्क है। पंजीयन प्रातः 10.30 बजे से प्रारम्भ होगा।		
2	प्रतिभागी को शिक्षण संस्थान का परिचय–पत्र लाना अनिवार्य है। उनके साथ अध्यापक, प्राध्यापक या संरक्षक भी उपस्थित होगा। यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।		
3	प्रतिभागी द्वारा विषय पर सरल एवं शिष्ट भाषा में विचार व्यक्त किए जाएंगे।		
4	धर्म, जाति, वर्ग विशेष पर कटाक्ष, व्यक्तिगत आक्षेप एवं आरोप–प्रत्यारोप वर्जित होंगे।		
5	पढ़कर बोलने वाला प्रतिभागी अपात्र होगा।		
6	प्रतियोगिता के अंत में परिणाम घोषित किया जाएगा।		

...

<u>परिशिष्ट–छह</u>

(देखें पद 6.4)

जिला स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता

नियम–शर्तें

प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों एवं उत्कृष्ट विद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु संसदीय विषयों में जिला स्तरीय वाद–विवाद प्रतियोगिता आयोजित कराई जाती है।

प्रतियोगिता की नियम–शर्ते निम्नानुसार हैं –

1	प्रतिभागी	शासकीय महाविद्यालयों एवं उत्कृष्ट विद्यालयों (कक्षा 9वीं से 12वीं) के विद्यार्थी।		
2	विषय	नोडल महाविद्यालय / विद्यालय द्वारा चयनित तथा विद्यापीठ द्वारा अनुमोदित विषय।		
3	भाषा	हिन्दी अथवा अंग्रेजी।		
4	संख्या	पक्ष एवं विपक्ष में बोलने हेतु अधिकतम 40 प्रतिभागी।		
5	समय सीमा	प्रत्येक प्रतिभागी को बोलने के लिए 5 मिनट दिए जाएंगे।		
6	राशि	सहमति उपरान्त प्रतियोगिता कराने हेतु नोडल महाविद्यालय / विद्यालय को रु.12000 / – की राशि चेक / ड्राफ्ट / इलेक्ट्रानिकली ट्रांसफर द्वारा दी जाएगी।		
			महाविद्यालय	विद्यालय
7	निर्णायक मंडल	1	जनप्रतिनिधि / गणमान्य नागरिक / विद्यापीठ का प्रतिनिधि	जनप्रतिनिधि / गणमान्य नागरिक / विद्यापीठ का प्रतिनिधि
		2	प्राचार्य / पूर्व प्राचार्य	प्राचार्य, उत्कृष्ट विद्यालय / विद्यालय
		3	विभागाध्यक्ष / प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक	व्याख्याता अथवा वरिष्ठ अध्यापक
		प्रतिभागी शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों का निर्णय अन्य से कराया जाएगा।		
8	अंक	1	विषय–वस्तु	10
		2	भाषा–शैली	05
		3	अभिव्यक्ति	05
		4	समग्र प्रभाव	05
			कुल अंक	25
9	मानदेय	निर्णायक मंडल के प्रत्येक सदस्य को रु. 1000 / – मानदेय दिया जाएगा।		
10	पुरस्कार		प्रथम	रु. 2000 / –
			द्वितीय	रु. 1500 / –
			तृतीय	रु. 1000 / –
		समस्त प्रतिभागियों को प्रमाण–पत्र दिया जाएगा।		

11	प्रमाण पत्र	जन–प्रतिनिधि, प्राचार्य आदि से समस्त प्रतिभागियों को प्रमाण–पत्र वितरण कराए जाएंगे।
12	व्यय विवरण	प्रतियोगिता उपरांत 15 दिवस में व्ययित राशि के मूल देयक, फोटोग्राफ्स, प्रतियोगिता का प्रतिवेदन आदि विद्यापीठ को भेजना अनिवार्य है।
	अन्य शर्तें	
1	प्रतियोगिता निःशुल्क है। विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।	
2	प्रतिभागियों को किसी प्रकार का यात्रा–भत्ता नहीं दिया जाएगा।	
3	धर्म, जाति, वर्ग विशेष पर कटाक्ष एवं व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोप वर्जित हैं।	
4	सरल एवं शिष्ट भाषा में विचार व्यक्त किए जाएंगे। पढ़कर बोलने वाला प्रतिभागी अपात्र होगा।	
5	घोषित परिणाम अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। निर्णायक मंडल द्वारा निर्णय कर तत्समय परिणामों की घोषणा कर पुरस्कार प्रतियोगिता स्थल पर ही वितरित किए जाएंगे।	

...

परिशिष्ट–सात
(देखें पद 6.5)

सेमीनार

मुख्य नियम–शर्तें

मध्यप्रदेश स्थित विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विद्यालयों के प्राध्यापकों, अध्यापकों एवं शोधार्थियों हेतु राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय सेमीनार कराया जाता है –

1	शोध–पत्र सारांश (एबस्ट्रेक्ट)	शोध पत्र सारांश कुल 300 शब्दों में, 14 फोन्ट साईज (हिन्दी Devlys 040 या अंग्रेजी Times New Roman) में होना चाहिए। सारांश स्वरचित, मौलिक एवं अप्रकाशित होना चाहिए तथा उसमें लिए गए उद्धरणों को सन्दर्भित किया जाना चाहिए।
2	समय–सीमा	स्मारिका में प्रकाशन हेतु शोध–पत्र सारांश निर्धारित तिथि तक ई–मेल/फैक्स द्वारा ए–4 पेपर पर, हार्ड कॉपी एवं सी.डी. सहित भेजे जाएंगे।
3	पंजीयन शुल्क	प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक एवं अध्यापक रु. 500/–, शोधार्थी 400/–, विद्यार्थी 200/– शुल्क का भुगतान कर सेमीनार में भाग ले सकेंगे।
4	आवास	निर्धारित तिथि तक प्राप्त अनुरोध पर निःशुल्क व्यवस्था की जा सकेगी।
5	वाचन	प्रत्येक चयनित प्रतिभागी को रिसोर्स पर्सन आदि के समक्ष शोध–पत्र वाचन करने हेतु 3 मिनट का समय दिया जाएगा।
6	यात्रा व्यय	रेल का द्वितीय श्रेणी स्लीपर अथवा बस के वास्तविक किराए का भुगतान टिकट प्रस्तुत करने पर, इलेक्ट्रानिकली अंतरण द्वारा किया जाएगा।
7	प्रमाण–पत्र	बैग, पेन–पैड एवं प्रमाण–पत्र दिए जाएंगे।
8	उपस्थिति	प्रतिभागियों की प्रारम्भ से अंत तक उपस्थिति अपेक्षित है।

...

परिशिष्ट–आठ
(देखें पद 6.6)

व्याख्यानमाला

मुख्य नियम–शर्तें

मध्य प्रदेश स्थित विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विद्यालयों के प्राध्यापकों, अध्यापकों एवं शोधार्थियों हेतु राष्ट्रीय/राज्य–स्तरीय व्याख्यानमाला कराई जाती है –

1	पंजीयन शुल्क	प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक एवं अध्यापक निर्धारित शुल्क का भुगतान कर व्याख्यानमाला में भाग ले सकेंगे। शुल्क डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा संचालक, पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ, भोपाल के नाम से देय होगा अथवा व्याख्यानमाला में नगद भुगतान भी किया जा सकेगा।
2	सहमति	इच्छुक प्रतिभागी अपनी सहमति मेल या दूरभाष से निर्धारित तिथि तक अनिवार्य रूप से भेजें, ताकि व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।
3	आवास	निर्धारित तिथि तक प्राप्त अनुरोध पर निःशुल्क व्यवस्था की जा सकेगी।
4	व्याख्यान	रिसोर्स पर्सन्स द्वारा व्याख्यान दिए जाएंगे एवं प्रतिभागियों द्वारा प्रति–प्रश्न किए जा सकेंगे।
5	यात्रा व्यय	रेल के द्वितीय श्रेणी अथवा बस के वास्तविक किराए का भुगतान टिकट प्रस्तुत करने पर किया जाएगा। अन्य साधन से की गई यात्रा की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।
6	प्रमाण–पत्र	बैग, पैड–पेन एवं प्रतिभागिता प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।
7	उपस्थिति	प्रतिभागियों की प्रारम्भ से अंत तक उपस्थिति अपेक्षित है।

...

परिशिष्ट–नौ
(देखें पद 6.7)

निबंध प्रतियोगिता

मुख्य नियम–शर्तें

1	प्रतिभागी	मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थी।		
2	शब्द एवं पृष्ठ सीमा	(1) महाविद्यालयीन – लगभग 2500 शब्द एवं ए–4 साईज के 10 पृष्ठ। (2) विद्यालयीन – लगभग 2000 शब्द एवं ए–4 साईज के 8 पृष्ठ।		
3	भाषा	हिन्दी अथवा अंग्रेजी		
4	निबंध भेजने की प्रक्रिया	1	टंकित अथवा स्पष्ट हस्तलिपि में हो।	
		2	प्रत्येक पृष्ठ पर पृष्ठ क्रमांक अंकित किया जाए।	
		3	प्रत्येक पृष्ठ के बांई ओर छः सेंटीमीटर रिक्त स्थान छोड़ा जाए।	
		4	निबंध के अन्त में स्वयं तथा शिक्षण संस्थान का पूरा नाम, पता एवं दूरभाष/मोबाईल क्रमांक अंकित किया जाए।	
		5	निबंध प्रविष्टि पर प्रमाण–पत्र अंकित किया जाए कि निबंध मौलिक, स्वरचित तथा अप्रकाशित है।	
		6	निबंध कुलपति/प्राचार्य के हस्ताक्षर एवं सील सहित भेजा जाए।	
		7	निबंध, संचालक, पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ के पते पर निर्धारित तिथि तक भेजा जाए विलंब से प्राप्त निबंधों पर विचार नहीं किया जाएगा।	
5	अंक	निबंध प्रविष्टियों का निम्न मापदंडो के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा –		
		1	निबंध की विषय वस्तु	30
		2	लेखन तथा घटनाओं की क्रमबद्धता	25
		3	विचारों की प्रासंगिकता	25
		4	भाषा की शुद्धता	20
			कुल अंक	100
6	पुरस्कार	पुरस्कारों की संख्या तथा राशि निम्नानुसार है –		
	1	प्रथम	एक	10,000/–
	2	द्वितीय	एक	7,500/–
	3	तृतीय	एक	5,000/–
	4	सांत्वना	दो	2,500/– (पृथक–पृथक)
	उपर्युक्त पुरस्कारों के अतिरिक्त समस्त प्रतिभागियों को प्रमाण–पत्र दिया जाएगा।			

नोट	
1	उपर्युक्त नियम–शर्तों की पूर्ति करने वाले विद्यार्थियों के निबंधों को ही प्रतियोगिता में सम्मिलित कर प्रमाण–पत्र दिए जाएंगे।
2	भोपाल में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में पुरस्कार दिए जाएंगे, जिसकी सूचना यथासमय दी जाएगी।
3	घोषित परिणाम अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
4	पुरस्कार वितरण समारोह में अनुपस्थित विजेता का पुरस्कार कुलपति/प्राचार्य को भेजा जाएगा।
5	भोपाल के बाहर के विजेताओं को रेल के द्वितीय श्रेणी शयनयान अथवा बस का वास्तविक किराए का भुगतान, टिकट प्रस्तुत करने पर, किया जाएगा।
6	निबंधों पर विद्यापीठ का अधिकार होगा।

...